नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

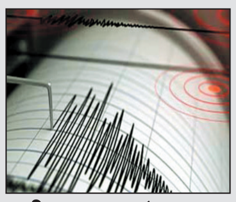

चीन-जापान में भूकंप 6.3 तीव्रता से आया

बीजिंग/टोक्यो. एशिया के कई हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया. चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत किंगहाई के हासी क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके बाद कई इलाकों में जमीन कांपने लगी. चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी, जिससे इसका प्रभाव सतह पर अधिक महसूस किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं.

कन्नूर से जेद्दाह फ्लाइट में तकनीकी खराबी, हड़कंप

कन्नूर. कन्नूर से जेद्दाह जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की अंतरराष्ट्रीय उड़ान मंगलवार सुबह उस समय चर्चा में आ गई जब उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में तकनीकी खराबी की आशंका सामने आई. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पायलटों ने तुरंत निर्णय लेते हुए विमान को वापस कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। यह फ्लाइट सुबह करीब 7:03 बजे कन्नूर से रवाना हुई थी, लेकिन लगभग 30 मिनट बाद ही तकनीकी समस्या के संकेत मिलने लगे. विमान में उस समय 180 यात्री सवार थे, जो इस अप्रत्याशित स्थिति से घबरा गए.

अमेरिकी नौसेना के हमले में बचे 21 की घर वापसी

मस्कट. पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर एमटी सेटेबेलो के 21 नाविक यहां से भारत के लिए रवाना हो गये हैं. पिछले हफ्ते अमेरिकी नौसेना ने इस टैंकर पर घातक हमला किया था. इसकी जानकारी ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार सुबह दी. उनकी रवानगी से पहले, राजदूत ने चालक दल के सदस्यों से बातचीत की, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं.

गुस्ताखी माफ

महाशक्तियों का मिलन

16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की आमने-सामने मुलाकात

एवियन, फ्रांस 16 जून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं. भारत जी 7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां पर पीएम मोदी का दुनिया के महाशक्तियों के राष्ट्रअध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई. कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई. वहीं वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों का दौर जारी है.

इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर रही, जहां दोनों नेता करीब 5 मिनट तक एक साथ बातचीत करते नजर आए. यह मुलाकात करीब 16 महीनों बाद हुई है, इससे पहले दोनों नेताओं की आमने-सामने बातचीत 12 फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी. यह आपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी इस समय फ्रांस, स्लोवाकिया सहित कई देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और जी7 सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुए हैं.

दुनिया की भलाई के लिए एक मंच पर हुए एकत्र

सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि मंगलवार दोपहर एवियन में जी- 7 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जी -7 नेताओं के साथ दृष्टिकोण साझा करना हमेशा ज्ञानवर्धक होता है. इससे पहले विदेश मंत्रालय ने श्री मैक्रों द्वारा श्री मोदी का स्वागत किये जाने का फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि ये नेता दुनिया की भलाई के लिए एक मंच पर एकत्र हुए हैं.

इजरायल के रवैये से खुश नहीं हूं: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई की गति पर असंतोष जताते हुए कहा कि यह अभियान कहीं अधिक तेजी से पूरा किया जाना चाहिए था. श्री ट्रंप ने यह टिप्पणी फ्रांस के एवियां शहर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान की. यूरोपीय संघ और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है. श्री ट्रंप ने कतर के अमीर के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मैं लेबनान और हिजबुल्लाह के मामले में इजरायल के रवैये से खुश नहीं हूं।

गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत बढ़ी

- 30 जून तक दोनों की बढ़ी रिमांड
- कोर्ट से वीडियो कान्फ्रेंसिंग दोनों जुड़े
- वकील से मुलाकात की समयावधि बढ़ाने की मांग

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 16 जून. पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह की 14 दिन तक न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी गई है. मंगलवार को सीबीआई की मांग कर कोर्ट ने 30 जून तक दोनों की रिमांड़ बढ़ाई है. ट्विशा शर्मा मौत मामले में मायके पक्ष के लोगों ने गिरिबाला और समर्थ पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जानकारी के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आवेदन की कॉपी भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मांगी, जिसे सीबीआई की तरफ से पेश किया गया. गिरिबाला सिंह के वकील को कोर्ट के निर्देश पर काफी को उपलब्ध कराया गया. ट्विशा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह और समर्थ को इससे पहले 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. रिमांड़ पूरी होने पर दोनों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड़ बढ़ा दी. बताया गया है कि कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह ने जरूरी मांग की.

(शेष पेज 12 पर)

लश्कर के गुर्गे से जुड़ा घर हुआ कुर्क

नई दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नार्को-आतंकवादी तंत्र मामले में पंजाब के अमृतसर में लश्कर-ए-तैयबा के एक गुर्गे से जुड़े एक घर को कुर्क किया है. सलाया मादक पदार्थ जब्ती मामले में गैरकानूनी गतिविधियां अमृतसर के होली सिटी, होली एन्क्लेव फेज- स्थित मकान नंबर 33 के रूप में पहचानी गई संपत्ति को मंगलवार को कुर्क किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और ईसी से मांगा जवाब

आधार के इस्तेमाल के खिलाफ लगाई थी याचिका

नई दिल्ली, 16 जून. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने की मांग की है, जिसमें आधार को सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर मानने की बात की गई, ना कि नागरिकता, रहने की जगह, घर के पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा आधार का इस्तेमाल आधार अधिनियम, 2016 और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्पष्टीकरण के खिलाफ है. याचिका आधार अधिनियम की धारा 9 पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि आधार नंबर या उसका प्रमाणिकरण अपने आप में नागरिकता या रहने की जगह का कोई अधिकार नहीं देता है.

> याचिका के अनुसार इन कानूनी सीमाओं के बावजूद आधार को स्कूल दाखिला, जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रॉपर्टी लेन-देन सहित कई कामों के लिए उम्र, रहने की जगह, नागरिकता और रहने की जगह के सबूत के तौर पर नियमित तौर पर स्वीकार किया जाता है. फॉर्म-6 में जन्म की तारीख और रहने की जगह के सबूत के तौर पर आधार को स्वीकार करने को लेकर एक खास चुनौती दी गई है, जिसका इस्तेमाल नये मतदाता पंजीकरण के लिए किया जाता है.

नीट पुनर्परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम एप पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली 16 जून. सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी पाबंदी लगा दी है. यह कदम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उठाया है.

सरकार के इस निर्णय के बाद कोई भी उपभोक्ता 22 जून तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी मैसेज को एडिट भी नहीं कर पाएंगे. एनटीए ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले गिरोह कथित तौर पर नीट उम्मीदवारों को ठगने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और पेपर लीक होने के झूठे दावे करते थे. एनटीए के अनुसार भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एनटीए और राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रूप्स और बॉट्स को बंद करवाने में मदद की है.

आतंकी नेटवर्क से जुड़े आरोपी अदालत में पेश

- **14** दिन तक फराज को न्यायिक हिरासत में भेजा
- **04** दिन तक नईम एटीएस की रिमांड पर

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 16 जून. जिला अदालत ने मंगलवार को कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े आरोपी मोहम्मद फराज को 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. आरोपी फराज के देवबंद से दूसरे साथी नईम अब्दुल्ला को अदालत ने चार दिन तक एटीएस की रिमांड पर भेजा है. दोनों आरोपियों पर देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है. काजी कैंप भोपाल से गिरफ्तार हुए फराज पर आरोप है कि वह इस संगठन से करीब चार साल से जुडा था और युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने का वह काम भी करता था. आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत में पेश किया गया.

कैलिफोर्निया में बी-52 बॉम्बर क्रैश होने से 8 लोगों की मौत

कैलिफोर्निया, 15 जून. अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार सुबह एक भीषण विमान हादसा हो गया. अमेरिकी वायुसेना का बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एयर फोर्स बेस के पास टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई.

दुर्घटना के बाद सामने आए फुटेज में विमान का मलबा रेगिस्तानी इलाके में जलता हुआ दिखाई दिया. एडवर्ड्स बेस पर 412वें टेस्ट विंग के डिप्टी कमांडर कर्नल जेम्स हेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रैश के फुटेज देखने के बाद साफ हो गया था कि इस हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं थी. फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है और अधिकारियों ने अभी तक किसी ठोस वजह की पुष्टि नहीं की है.

राजनाथ सिंह के आवास पर हुआ मंथन

अमित शाह, बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

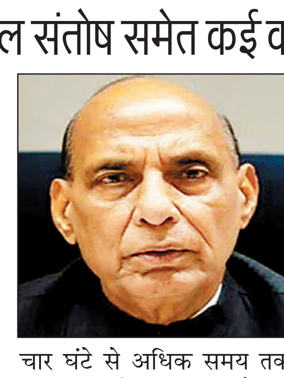

नई दिल्ली, 16 जून. नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण बैठक ने राजनीतिक गलियारों में संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाओं को और तेज कर दिया है. सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही.

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक चार घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें भाजपा की केंद्रीय संगठनात्मक टीम में संभावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और पार्टी-आरएसएस समन्वय से जुड़े अरुण कुमार भी शामिल रहे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह बैठक केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें आगामी चुनावी रणनीति, संगठन के पुनर्गठन और नई केंद्रीय टीम के गठन को लेकर गंभीर विचार-विमर्श किया गया. माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही अपनी नई केंद्रीय टीम की घोषणा कर सकती है, जिसमें अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी.

ओबीसी आरक्षण मामले में पुन: प्रारंभिक स्तर से प्रारंभ होगी अंतिम सुनवाई

जबलपुर। ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ व पक्ष में दायर की गयी याचिकाओ की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ के द्वारा की गयी। युगलपीठ ने सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई प्रारंभिक स्तर से प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने सभी याचिकाओं पर 24 जून से प्रतिदिन सुनवाई के आदेश जारी किये है।

गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर 86 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ के द्वारा की जा रही थी। युगलपीठ ने पक्ष तथा विपक्ष में दायर की गयी याचिकाओं को अलग-अलग करने के आदेश जारी किये थे। आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को पहले पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। जिनकी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा इंद्र साहनी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षण की अधिक सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

कैबिनेट बैठक | तबादलों के लिए एक दिन की रियायत और मिली, जीएडी ने जारी किए आदेश

तबादलों का प्रेशर नहीं झेल पाया सर्वर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जून. राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादला अवधि को 24 घंटे और बढ़ा दिया है. यानी अब मंगलवार रात 12 बजे तक तबादले हो सकेंगे. कैबिनेट में इस विषय पर मंत्रियों के बीच लंबी बहस के बाद एक दिन की रियायत और दे दी गई. इधर कैबिनेट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक दिन समय बढ़ाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए.

इससे पहले 15 जून तक तबादला करने का समय तय किया गया था, इसलिए सोमवार रात तक विभागों में तबादलों का दौर चलते रहा. जिससे सर्वर पर लगातार दबाव बना रहा. आखिरकार रात 12 बजे तक सभी विभागों के तबादलों का प्रेशर सर्वर नहीं झेल पाया. इस कारण कई विभागों की तैयार सूची अपलोड नहीं हो सकी. जिस कारण एक दिन की राहत और दे दी गई. मंगलवार को कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों ने तबादलों के समय में बढ़ोतरी की मांग की, ज्यादातर मंत्री तबादलों के लिए कम से कम दो दिन समय बढ़ाने के पक्ष में थे.

> सीएम डॉ. मोहन यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सभी विभागों ने इस बार अच्छा काम किया है. 90 फीसदी तक तबादले विभागों ने कर लिए हैं, अब जो बचे हैं, उसे आज रात तक पूरा कर लें. ये कहते हुए उन्होंने एक दिन और समय बढ़ाने की बात कही. इस पर एक बार फिर मंत्रियों ने कम से कम दो दिन और समय बढ़ाने की मांग एक बार फिर सीएम के सामने की.

ईरान समझौता से पश्चिम एशिया की बदल सकती है सूरत: वेंस

वॉशिंगटन, 16 जून. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ नये समझौते की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते के जरिये अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, जो आने वाले दशकों में पूरी तरह पश्चिम एशिया की सूरत बदल सकती है. वेंस ने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि यह अमेरिका के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से राष्ट्रपति के नेतृत्व और पूरी टीम की कड़ी मेहनत को जाता है.

डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी कफ सिरप

नई दिल्ली, 16 जून. केंद्र सरकार ने आम जनता खासकर बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खांसी की सिरप (कफ सिरप) की बिक्री पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप खरीदना असंभव हो गया है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर दिया है. राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 927 (ई) के माध्यम से यह बदलाव अधिसूचित किया गया है. मंत्रालय के अनुसार, यह कदम खांसी की सिरप की अनियंत्रित बिक्री, दुरुपयोग और गुणवत्ता संबंधी जोखिमों को रोकने के लिए उठाया गया है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से यह संशोधन किया गया है. संशोधन दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था और अब पूरे देश में लागू है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

मुख्य बदलाव

- औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'क' की प्रविष्टि संख्या 13 से 'सिरप' शब्द हटा दिया गया है.
- 1000 से कम आबादी वाले छोटे गांवों में बिना लाइसेंस के कफ सिरप बेचने की छूट को समाप्त कर दिया गया है.
- अब खांसी की सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही बिक्री होगी.
- डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) अनिवार्य कर दिया है.